

19.09.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। उभयपक्ष उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली
मे अधिवक्ता की बहस एवं साक्ष्य सबूतो को मध्यनजर
रखते हुए। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय
अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये
जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय
कि पालना मे पत्र जारी कर शामिल पत्रावली किया
गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

